



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, (छ.ग)

(A Central University established by the Central Universities Act 2009, No. 25 of 2009)

Phone No. 260049, 260003, 260000(o) Mobile- 9407600463 Fax- 07752260485


क्रमांक / 322 / गोप. / 2011-12,

बिलासपुर, दिनांक- 26/3/2012

// अधिसूचना //

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.2.2012 में लिए गये निर्णयानुसार पूर्व में निर्धारित परीक्षा कार्य से संबंधित प्राध्यापकों की देय पारिश्रमिक की राशि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम सीमा रु. 20,000/- (रु. बीस हजार) में वृद्धि करते हुये रु. 30,000/- (रु. तीस हजार) की जाती है। यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रभावशील होगी।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ. क्रमांक / 323 / गोप. / 2011-12

बिलासपुर, दिनांक- 26/3/2012

प्रतिलिपि:-


- 1/ कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक को कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ ।
- 2/ वित्ताधिकारी/अंकेक्षण गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर ।
- 3/ समस्त विभागाध्यक्ष, वि.वि. शिक्षण विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर ।
- 4/ सहायक कुलसचिव (परीक्षा/वि.वि. शिक्षण विभाग), गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर ।
- 5/ प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर ।

1297/CS17
2013/11

HOD Computer
for net

Machar
28/3/12

28/3/12



परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)